तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 14/2021 बअनवान इन्द्रीदेवी वगै. बनाम शांतिदेवी वगै.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.06.2022	पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता श्री हुकमसिंह चौधरी एवं रेस्पोडेंटस अधिवक्ता भूरचंद जांगिड़ उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। उभयपक्ष के हितों का निर्धारण दावे के निस्तारण पर ही संभव है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। अपीलांट को रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन आराजी से जबरन बेंदखल करने पर प्रयासरत है तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जाता है तो अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में है। अतः अपीलांटगण का स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंटस ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आराजी पर रेस्पोडेंटस का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी वादीनी की पैतृक भूमि है जिसमें रेस्पोडेंट का जन्म से ही हक हिस्सा है। मूल दावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंट के पक्ष में है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:– **CCC 2019(3) Page 155** **RRT 2004(1) Page 587** अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वार अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरूद्ध पेश की गई। अपीलाधीन आदेश अपीलांटगण को सुने बिना एकपक्षीय पारित किया गया। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है। रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध बिना सुने स्थगन आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांटगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलांटगण द्वारा पेश अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.01.2021 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 रा.का.अधि. का विधि सम्मत निस्तारण करे। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.07.2022 को उपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलाश सुनाया गया। (प्रतिष्ठा पिलानिया) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर	